न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)
राजस्व प्रार्थना संख्या 91/2018

1. सोहनसिंह पुत्र श्री भींया जाति रावत निवासी ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।

––––––––प्रार्थी

ब ना म

1 खीमसिंह पुत्र श्री हरी रावत
2 बरदा पुत्र श्री लाला रावत
3 बाबू पुत्र श्री काना रावत
तीनो जाति रावत एवं निवासीगण ग्राम मानपुरा ग्राम पंचायत मोयणा तहसील मसूदा जिला अजमेर ।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मसूदा, जिला अजमेर।

–––अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 25.02.2021

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा मानपुरा पटवार क्षेत्र सबलपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2067–2070 के खसरा संख्या 719 रकबा 02–04–10 बीघा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमि पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु सीमाकंन पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका होने के कारण प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 04 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:26:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बाद अवलोकन पाया कि मौजा मानपुरा पटवार क्षेत्र सबलपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2067–2070 के खसरा संख्या 719 रकबा 02–04–10 बीघा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है।

................लगातार

(मोहनलाल खतनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

सोहनसिंह बनाम खीमसिंह व अन्य
प्रकरण संख्या 91/2018

चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें वे जरिए नाप-चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थी पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम मौजा मानपुरा पटवार क्षेत्र सबलपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा की जमाबन्दी संवत् 2067-2070 के खसरा संख्या 719 रकबा 02-04-10 बीघा भूमि का मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी कारवाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 25.02.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:26:41 IST
Reason: SelfAttested